न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 34/2023

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

1. हनुमान प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम
2. रामचन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जैराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम

समस्त जाति ढोली निवासीगण ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम मनीष गर्ग पुत्र श्री बोदूराम गर्ग जाति अग्रवाल निवासी गली नं. 6, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज तहसील व जिला अजमेर।

——वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र जगन्नाथ
2. रामदेव पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

3. श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री रामप्रकाश अग्रवाल निवासी 62, बर्मिज कॉलोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
4. भू—प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

——असल प्रतिवादीगण

6. रामलाल पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
7. लक्ष्मण पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
8. सीता पुत्री रामसुख पौत्री स्व. हजारी

समस्त जाति ढोली निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

——तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी — अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांकः— 29/08/2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके चौसाला सम्वत 2019 से 2022 की खाता संख्या 441 के खसरा नंबर 1380 रकबा 4—14—10 बीघा किस्म बारानी 1, वर्किंग सम्वत 2041 की खाता संख्या 140 के खसरा नंबर 1445 रकबा 4—14—10 बीघा किस्म बारानी 1 व आधार सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 422 नई व पुरानी के खसरा नंबर 2028 रकबा 0.7600 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 है। ग्राम माकडवाली की चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 की खतौनी संख्या 441 के खसरा नंबर 1380 के खातेदार काश्तकार जयराम व हजारी पिसरान बगता कौम ढोली साकिन देह खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड थी, किन्तु भू—प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिकी तथा बिना किसी विधिक अन्तरण पत्र के वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के स्व. पिता जगन्नाथ वल्द सुवा कौम गुर्जर के नाम गैर कानूनी रूप से अंकित कर दी। उक्त गैर कानूनी अंकन का अवांछित लाभ उठाकर जगन्नाथ वल्द सुवा जाति गुर्जर ने गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 21.10.2005 को अन्तरण कर दी जबकि वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 की खाता संख्या 140 में अंकित आराजी खसरा नंबर 1445 में लाल स्याही से उक्त खसरा नंबर के सम्मुख जयराम व हजारी पिता बगता ढोली के नाम दर्ज होना चाहिए स्पष्ट नोट लगा हुआ था जिसे नजर अन्दाज कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने राजस्व एजेन्सी से सांठ गांठ कर अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को अन्तरित कर दी उक्त अन्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक में नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 02.03.2006 को भरवा लिया किन्तु भू—अभिलेख निरीक्षक अजमेर तृतीय ने जांच में पाया कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 140 खसरा नंबर 1445 के सामने लाल स्याही से जयराम व हजारी पिता बगता ढोली का अंकन दर्ज हो रखा है अतः नामान्तरकरण अस्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत माकडवाली द्वारा दिनांक 20.03.2006 को नामान्तरकरण खारिज करने के आदेश पारित किये गए किन्तु उसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 ने तत्कालीन हल्का पटवारी माकडवाली से खारिजशुदा नामान्तरकरण का अंकन तत्कालीन जमाबंदी में गैर कानूननी रूप से खातेदारी में खातेदार अंकित करवा लिया। तत्पश्चात वादग्रस्त आराजीयात की आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 422 के काश्तकार के कॉलम में बिना किरी आधार के अपने आपको खातेदार काश्तकार गैर कानूनी रूप से अंकित करवा लिया। उपरोक्त सम्पूर्ण अविधिक व गैर कानूनी कार्यवाही को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का सह खातेदार सह काश्तकार उद्घोषित खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने, भूमि की शक्ल व किस्म परिवर्तित करने, प्लाट काटने तथा निर्माण कार्य करवाने पर आमदा है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अपनी पुश्तैनी सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेंगे। जिससे वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिससे असल प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जाना न्यायोचित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज कमशः जयराम व हजारी वल्द बगता कौम ढोली के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो चौसाला जमाबंदी से स्वयं सिद्ध है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्व. पिता जगन्नाथ वल्द सुवा कौम गुर्जर ने भू–प्रबन्ध विभाग से गैर कानूनी रूप से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करवा वर्किंग आराजी खसरा नंबर 1445 को अपनी खाता खतौनी संख्या 140 में गैर कानूनी रूप से अंकन करवा कर प्रतिवादी संख्या 3 को अन्तरित कर दी अर्थात चौसाला जमाबंदी के पश्चात प्रतिवादीगण के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को सह खातेदार/सह काश्तकार घोषित किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किया जावे एवं इस अमर की उद्घोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज की आज्ञप्ति बहक वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 से 8 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 20.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने फॉर्मल जवाब पेश किया। जिससे तनकियात की आवश्यकता नहीं होने के कारण पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। जिस पर वादी श्री जगदीश प्रसाद ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पी. डब्ल्यू–1 स्वयं का तथा पी. डब्ल्यू–2 सांवरा पुत्र हरचंद जाति गुर्जर व पी. डब्ल्यू–3 सत्यनारायण पुत्र रामदेव जाति गुर्जर को अपने वाद पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में बयान करवाये। वादी जगदीश प्रसाद ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर शपथ पूर्वक कथन किये कि वाद पत्र में अंकित भूमि की चौसाला जमाबंदी संवत 2019–2022 की खाता संख्या 440 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल चौसाला से वर्किंग खसरा नंबर प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी वर्किंग संवत 2041 प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 808 खारीज दिनांक 20.03.2006 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल वर्किंग खसरा नंबर से आधार खसरा नंबर प्रदर्श–5, आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 422 नया प्रदर्श–6 वाद के समर्थन में दस्तावे प्रदर्शित करवाए गए तथा वाद पत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया। इसी प्रकार पी. डब्ल्यू–2 सांवरा पुत्र हरचंद जाति गुर्जर स्वतंत्र गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जिसने शपथ पूर्वक बयान किये कि मैं वादीगण व तरतीबी वादीगण को जानता हूँ, इनकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि को जानता हूँ। मैं इनके खेत पडोसी हूँ विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त देखता आ रहा हूँ। जिसका रकबा लगभग 5 बीघा है। मैं ट्रेक्टर से खेती बाडी का काम करता हूँ, इस वर्ष विवादित भूमि वादीगण ने मेरे से ट्रेक्टर से खेती काश्त करवाई है। मेरे से वादीगण ने इस वर्ष ज्वारा की फसल बुवाई जो मौके पर दो से ढाई फीट की फसल खडी है। मैं ट्रेक्टर से भाडे से अलग–अलग काश्तकारों के खेत काश्त करता हूँ। अन्य किसी व्यक्ति का मैनें मेरी समझ–समझाईस से कभी कब्जा नहीं देखने बावत सशपथ कथन किये।

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

इसी प्रकार वादी साक्ष्य में स्वतंत्र गवाह के रूप में पी. डब्ल्यू–3 सत्यनारायण पुत्र रामदेव जाति गुर्जर को न्यायालय के समक्ष पेश कर बयान करवें। जिसने कथन किया कि मैं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को जानता हूँ। विवादित भूमि को जानता हूँ, जिसका रकबा लगभग 5 बीघा है। मैं इस खेत का खेत पड़ौसी हूँ। मेरे खेत के पश्चिम में उक्त भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अन्य किसी का कब्जा मैनें मेरी समझ–समझाईस से कभी कब्जा नहीं देखने तथा वर्तमान में मौके पर वादीगण द्वारा ज्वार की फसल काश्त करने बाबत सशपथ कथन किये तथा वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर वादी की साक्ष्य बन्द की गई एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 20.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उक्त प्रकरण को बहस हेतु नियत किया। वादीगण के अभिभाषक द्वारा मौखिक बहस में मुख्यतः वाद में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माकडवाली की चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 की खतौनी खाता संख्या 441 के खसरा नंबर 1380 रकबा 4–14–10 बीघा भूमि की खतौनी प्रदर्श–1 करवायी है उक्त खतौनी के कृषक के कॉलम में जयराम व हजारी पिसरान बगता कौम ढोली साकिन देह खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड थी किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी प्रकार के अन्तरण पत्र तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के स्व. पिता जगन्नाथ वल्द सुवा कोम गुर्जर के नाम गैर–कानूनी रूप से वर्किंग जमाबंदी बनाते समय संवत 2041 की खाता संख्या 140 में खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा भूमि जो कि प्रदर्श–3 है स्व. जगन्नाथ वल्द सुवा के अंकित कर दी उक्त खाता खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1445 के सामने कॉलम संख्या 11 व 12 में सुस्पष्ट अंकन किया हुआ है कि "जैराम व हजारी पिता बगता कोम ढोली के नाम दर्ज होना चाहिए" उक्त स्पष्ट अंकन के बावजूद प्रतिवादीगण 1 व 2 के स्व. पिता जगन्नाथ वल्द सुवा गुर्जर में गैर कानूनी अंकन का अवांच्छित लाभ उठाकर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीया संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2005 को अन्तरित कर थी उक्त अन्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक में नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 02.03.2006 को भरवा लिया जो प्रदर्श 4 है किन्तु उक्त नामान्तकरण की जांच के समय भू–अभिलेख निरीक्षक अजमेर तृतीय ने पाया कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 140 के खसरा नंबर 1445 के सामने लाल स्याही से जयराम व हजारी वल्द बक्ता कोम ढोली का अंकन हो रखा है, अतः नामान्तरकरण अस्वीकार योग्य विधिवत माना गया तथा उक्त भू–अभिलेख की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत माकडवाली द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.03.2006 को नामान्तरकरण विधिवत रूप से खारिज किया था किन्तु इसके उपरान्त प्रतिवादीया संख्या 3 ने तत्कालीन हल्का पटवारी माकडवाली से खारिज शुदा नामान्तरकरण के बिन्दु को छिपाकर प्रतिवादीया संख्या 3 ने जमाबंदी में अपनी खातेदारी में अंकित करवा लिया उक्त अंकन वर्तमान आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 422 के काश्तकार के कॉलम में बिना किसी आधार के अपने आपको खातेदार काश्तकार गैर कानूनी रूप से अंकित करवा लिया। उपरोक्त सम्पूर्ण अविधिक व गैर–कानूनी कार्यवाही को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का सह–खातेदार, सह–काश्तकार उद्घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी/इन्द्राज दुरूस्ती करवायी जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को सह–खातेदार, सह–काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 6 में अंकित अंकन से स्पष्ट सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज क्रमशः जयराम व हजारी पिता बगता ढोली द्वारा किसी व्यक्ति को विवादित भूमि अन्तरित करने बाबत पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा कथन किया कि वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षीगण ने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त है अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं होना हमने सिद्ध किया है, अभी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर इस वर्ष ज्वार की फसल हमने बुवाई करवायी है जिसे हमारे स्वतंत्र गवाह क्रमशः पी डब्ल्यू–2 सांवरा व पी डब्ल्यू–3 सत्यनारायण जो इसी गांव के स्थायी निवासी है ने भी हमारा ही कब्जा काश्त स्वीकार किया है अंत में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये सम्पूर्ण अंकन हमारे स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र में अंकित अनुतोष अनुसार हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक में जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (प्र.) अजमेर

वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकरण की स्थिति इस प्रकार है कि वादीगण के कथन अनुसार कि ग्राम माकडवाली स्थित चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 2022 की खाता संख्या 441 प्रदर्श 1 में कृषक कॉलम में जैराम व हजारी पिसरान बगता कौम ढोली साकिन देह खुदकाश्त का अंकन स्पष्ट है विवादित चौसाला खसरा नंबर 1380 रकबा 4–14–10 बीघा भूमि का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्किंग खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा बनाये गये है वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 की खाता संख्या 140 प्रदर्श–3 में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा भूमि कृषक के कॉलम में जगन्नाथ वल्द सुवा कौम गुर्जर के नाम अंकित की हुई है तथा उक्त खसरा नंबर के सामने वर्किंग जमाबंदी के कॉलम संख्या 11 व 12 में स्पष्ट अंकन है कि ''जैराम व हजारी पिसरान बगता कौम ढोली के नाम दर्ज होना चाहिए'' उक्त अंकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी बिना किसी बैचाननामा, अन्तरण पत्र या सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के बगैर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–3 में अंकन गैर–कानूनी रूप से अंकित किया जाना पाया जाता है। उक्त गैर–कानूनी अंकन का अवांछित लाभ उठाकर जगन्नाथ वल्द सुवा गुर्जर ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीया संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2005 को अन्तरण करने बाबत स्थिती नामातंरकरण संख्या 808 प्रदर्श–4 क अध्ययन व अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी की वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 की खाता संख्या 140 में अंकित खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा विक्रेता जगन्नाथ वल्द सुवा द्वारा विक्रया किया गया है जबकि वर्किंग जमाबंदी में खाता संख्या 140 खसरा नंबर 1445 के सामने लाल स्याही से जैराम, हजारी पिसरान बगता ढोली का अंकन दर्ज हो रखा है। अतः नामान्तरकरण अस्वीकार योग्य होने का अंकन किया गया तथा उक्त अंकन के आधार पर ग्राम पंचायत माकडवाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 808 को दिनांक 20.03.2006 को खारिज करने के आदेश पारित करना प्रदर्श 4 से स्पष्ट है, इसके उपरान्त प्रतिवादीया संख्या 3 ने राजस्व कार्मिकगण से सांठ–गांठ कर आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 422 नयी व पुरानी अपने नाम गलत व गैर–कानूनी रूप से खातेदारी में अंकन करवाना स्पष्ट है जबकि प्रतिवादीया संख्या 3 का नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 20.03.2006 को ही खारिज किया जा चुका था उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आरजी चौसाला जमाबंदी से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजगण जैराम व हजारी पिसरान बक्ता कौम ढोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है, जो प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–6 के अध्ययन व अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में ग्राम माकडवाली की चौसाला जमाबंदी प्रदर्श–1 के पश्चात वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श–3 में प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता जगन्नाथ वल्द सुवा गुर्जर के नाम वर्किंग खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा भूमि की हद तक उक्त खातेदार का नाम तथा उक्त खातेदार जगन्नाथ वल्द सुवा गुर्जर द्वारा किये गये गैर–कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को किये गये विक्रय पत्र उक्त विक्रय पत्र को आधार बनाया जाकर आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 422 में किये गये प्रतिवादीया संख्या 3 के नाम किये गये सम्पूर्ण अंकन प्रभावहीन व बैअसर घोषित किये जाने योग्य है तथा वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माकडवाली के चौसाला खसरा नंबर 1380 रकबा 4–14–10 बीघा वर्किंग खसरा नंबर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा तथा पुराने नंबर के आधार खसरा नंबर 2028 रकबा 0.7600 हैक्ट. किस्म बारानी–1 पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में गैर–कानूनी रूप से प्रवेश करने तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेशाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः–34 / 2023

1. हनुमान प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम
2. रामचन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जैराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम

समस्त जाति ढोली निवासीगण ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम मनीष गर्ग पुत्र श्री बोदूराम गर्ग जाति अग्रवाल निवासी गली नं. 6, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज तहसील व जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र जगन्नाथ
2. रामदेव पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

3. श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री रामप्रकाश अग्रवाल निवासी 62, बर्मिज कॉलोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

––असल प्रतिवादीगण

6. रामलाल पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
7. लक्ष्मण पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
8. सीता पुत्री रामसुख पौत्री स्व. हजारी

समस्त जाति ढोली निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

––तरतीबी प्रतिवादीगण

दिनांकः– 29.08.2024

वादीगण अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 29.08.2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर के चौसाला संवत 2019 से 2022 की खाता संख्या 441 के खसरा नंबर 1380 रकबा 4–14–10 बीघा किस्म बारानी–1, वर्किंग संवत 2041 की खाता संख्या 140 के खसरा नंबर 1445 रकबा रकबा 4–14–10 बीघा किस्म बारानी–1 व आधार संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 422 नई व पुरानी के खसरा नंबर 2028 रकबा 0.7600 हैक्टयर किस्म बारानी–1 में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में गैर–कानूनी रूप से प्रवेश करने तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेशाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उक्त आशय की अंतिम डिक्री आज दिनांक 29.08.2024 को जारी की जाती है।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड़	

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner